न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 201/2020 **दायर दिनांकः 02/12/2020**

उनवान

1. रेमिंगटन डिक्सन आयु 74 वर्ष पुत्र श्री इम्मानुएल जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू जिला बारां (राज0) . ...वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

...........प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट0

एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट0

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री भैरूलाल कुमार।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

आदेश **दिनाक : 26/08/2021**

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है, कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, राज0 टीनेन्सी एक्ट एवं धारा 136 एल0आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है, कि मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के अनुसार खाता सं0 75 का ख0न0 180/1036 का रकबा 0.21 है0, ख0न0 300 का रकबा 1.42 है0, ख0न0 438 का रकबा 0.53 है0, ख0न0 440/1032 का रकबा 0.05 है0, ख0न0 799 का रकबा 0.11 है0 ग्राम एवं माल पिपलोद तहसील अटरू जिला बारां में वादी के शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादी का हिस्सा 37/702 दर्ज खाता है। जिसमें वादी का नाम सहवन से रेमिंगटन डिक्सन के स्थान पर फेमिंगटन पुत्र इमानुऐल दर्ज है। नकल जमाबन्दी वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। इसी प्रकार ग्राम एवं माल पिपलोद तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 74 के ख0न0 433 का रकबा 0[illegible] है0, ख0न0 434 का रकबा 0.36 है0, ख0न0 479 का रकबा 1.26 है0, ख0न0 481/103[illegible] का 0.06 है0 कुल किता 4 का रकबा 1.99 है0 आराजी भी वादी के शामलाती खाते दर्ज चली आ रही हैं। जिसमें वादी का हिस्सा 1/9 दर्ज खाता है जिसमें भी वादी का नाम रेमिंगटन डिक्सन पुत्र इम्मानुएल के स्थान पर फेमिंगटन पुत्र इमानुएल दर्ज है। जो गलत है। नकल जमाबन्दी संलग्न है। वाद पत्र की मद नं0 1 व 2 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:56:29 IST
Reason: SelfAttested

वर्णित आराजी में वादी का नाम सहवन से प्रतिवादी के अधिनस्थ कर्मचारीगण की लापरवाही से फ्रेमिगंटन पुत्र इमानुएल दर्ज हो गया है। जबकि वादी का नाम शैक्षणिक दस्तावेजात व अन्य दस्तावेजात में रेमिगंटन डिक्सन पुत्र इम्मानुएल दर्ज है। जो वादी का वास्तविक नाम है। प्रतिवादी के अधिनस्थ कर्मचारीगण की लापरवाही से खाते में वादी का नाम फ्रेमिगंटन पुत्र इमानुएल दर्ज हो जाने से वादी को राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं, सहायता से अकारण ही वंचित होना पड़ रहा है तथा ऋण आदि लेने में भी काफी असुविधा उत्पन्न हो रही है। वादी को जब इस बाबत जानकारी हुई तो दिनांक 7.11.2020 को अपने शैक्षणिक दस्तावेजात व अन्य प्रमाण पत्र व दस्तावेजात लेकर खाते में अपना नाम फ्रेमिगटन पुत्र इमानुएल के स्थान पर सही नाम रेमिंगटन डिक्सन पुत्र इम्मानुएल दर्ज करवाने हेतु प्रतिवादी के पास गया और दस्तावेजात के आधार पर वादी का नाम खाते में दुरूस्त करने बाबत निवेदन किया तो उनने इंकार कर दिया तथा माननीय न्यायालय में वाद पेश करने की हिदायत दी और बिना सहायता न्यायालय वादी खाते में अपना नाम दुरूस्त नही करवा सकता। वाद कारण दिनांक 7.11.2020 को वादी द्वारा अपने शैक्षणिक दस्तावेजात के आधार पर प्रतिवादी से खाते में अपना नाम दुरूस्त करवाने का निवेदन करने पर व उनके द्वारा इन्कार करते हुये माननीय न्यायालय में वाद पेश करने की हिदायत देने पर प्रथम व अंतिम बार माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से उन्हे इस वाद में आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है। विवादग्रस्त आराजी ग्राम व माल पिपलोद तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होने से माननीय न्यायालय को इस वाद को सुनने का क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परीशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी सादिर फरमाई जावे किः–

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 व वर्णित आराजी ग्राम व माल पिपलोद तह0 अटरू जिला बारां की खातेदारी खाता नं0 के ख0न0 180 / 1036 का रकबा 0.21 है0, ख0न0 300 का रकबा 1.12 है0, ख0न0 438 का रकबा 0.53 है0, ख0न0 440 / 1032 का रकबा 0.05 है0, ख0न0 799 का रकबा 0.11 है0 एवं खाता संख्या 74 के ख0न0 433 का रकबा 0.31 है0, ख0न0 434 का रकबा 0.36 है0, ख0 न0 479 का रकबा 1.26 है0, ख0नं0 481 / 1036 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08
Reason: SelfAttested

0.06 है0 कुल किता 4 का रकबा 1.99 है0 आराजी में वादी का नाम फ्रेमिंगटन पुत्र इमानुएल को दुरस्त करते हुये रेमिंगटन डिक्सन पुत्र इम्मानुएल शैक्षिणिक दस्तावेज के आधार पर दर्ज करवाये जाने के आदेश प्रतिवादी को फरमावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा नही देने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया।

साक्ष्यवादी के अन्तर्गत Pw_1 व Pw_2 का शपथ पत्र पेश किया तथा रिकार्ड EXP करवाया गया। अभिभाषक वादी की बहस सुनी अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि ग्राम व माल पिपलोद तह0 अटरू जिला बारां की खाता सं0 75 का ख0नं0 180/1036 का रकबा 0.21 है0, ख0न0 300 का रकबा 1.42 है0, ख0न0 438 का रकबा 0.53 है0, ख0न0 440/1032 का रकबा 0.05 है0, ख0न0 799 का रकबा 0.11 है0 एवं खाता संख्या 74 के ख0न0 433 का रकबा 0.31 है0, ख0न0 434 का रकबा 0.36 है0, ख0 न0 479 का रकबा 1.26 है0, ख0नं0 481/1036 की 0.06 है0 कुल किता 4 का रकबा 1.99 है0 आराजी में वादी का नाम फ्रेमिंगटन पुत्र इमानुएल को दुरस्त करते हुये रेमिंगटन डिक्सन पुत्र इम्मानुएल दर्ज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्रस्तुत रिकार्ड, जमाबन्दी संवत् 2073–2076 ग्राम पिपलोद की खाता सं0 75 कुल किता 6 रकबा 2.34 है0 एवं खाता संख्या 74 कुल किता 4 का रकबा 1.99 है0 में सहखातेदार के रूप में वादी का नाम फ्रेमिगटन पुत्र इमानुएल दर्ज है प्रस्तुत रिकार्ड आधार कार्ड, पेन कार्ड, जंगल मंगल मण्डली चर्च पिपलोद के प्रमाण पत्र, माध्यमिक शिक्षा मण्डल राजस्थान की अंकतालिका प्रमाण पत्र, में वादी का नाम रेमिंगटन डिक्सन पुत्र इम्मानुएल दर्ज है तथा राजस्थान विश्वविद्यालय के पत्र में वादी का नाम रेमिंगटन दर्ज है।

प्रस्तुत रिकार्ड के आधार पर [illegible] में वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar
Meena
Date: 2021.10.08 12:56:29 IST
Reason: SelfAttested

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम पिपलोद की खाता सं0 75 कुल किता 6 रकबा 2.34 है0 एवं खाता संख्या 74 कुल

किता 4 का रकबा 1.99 है0 में सहखातेदार का नाम फ्रेमिगटन पुत्र इमानुएल के स्थान पर रेमिंगटन डिक्सन पुत्र इम्मानुएल दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26/08/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:56:29 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 201/2020

उनवान

1. रेमिंगटन डिक्सन आयु 74 वर्ष पुत्र श्री इम्मानुएल जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

. ...वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

...........प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट0
एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट0

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................ रूबरू..............X..............................

बहाजिर :–

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री भैरूलाल कुमार।

प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

मिनजानित मुदई रूबरू ....X...

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम पिपलोद की खाता सं0 75 कुल किता 6 रकबा 2.34 है0 एवं खाता संख्या 74 कुल किता 4 का रकबा 1.99 है0 में सहखातेदार का नाम फ्रेमिगटन पुत्र इमानुएल के स्थान पर रेमिंगटन डिक्सन पुत्र इम्मानुएल दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X......................... .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X........................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 26/08/2021 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:56:29 IST
Reason: SelfAttested

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टा[illegible]जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	ख[illegible] गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)